	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.10.25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे पे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषगण कन्डोलेन्स पर हैं। अतः पत्रावली वाबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 16.10.25 को पेश हो।	
16.10.25	पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्षगण उप० बहस सुनी गयी दौराने बहस वकील उभय पक्ष ने विवादित आराजी का तहसीलदार इगलास द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.10.24 के अनुसार विभाजन किए जाने के लिए सहमति प्रदान की अतः पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन के पश्चात पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य विभाजन प्रस्ताव एवं बहस के आधार पर तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव क्रमांक 2669 दिनांक 24.10.2024 स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से अंकन कराया जाकर संलग्न किया गया तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.10.24 एवं संलग्न नक्शा निर्णय का अंग रहेगा निर्णय खुले इजलास में सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर ~~संलग्न हो~~	-Asee

P.T.O.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	मानक से कम है। अतः पत्रावली दाखिल दफ्तर हो 16/10/2024 उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला–बून्दी(राज0)

दावा संख्या 105/2021

दायरा दिनांक 30.12.2021

पीठासीन अधिकारी
श्री अरविन्द शर्मा (RAS)

बउनवान

जसप्रीत सिंह आ0 जगजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी वार्ड नं. 13 सिनेमा हॉल के पास लाखेरी हाल प्लॉट सं. 208 सूर्या रेजीडेन्सी गली नं. 3 डडवाडा, कोटा जक्शन कोटा राज0

–वादी

बनाम

1. फराज खान आ0 महमूद अली जाति मुसलमान निवासी संजय नगर भीमगंज मण्डी, कोटा तहसील लाडपुरा कोटा
2. पवित सिंह आ0 जगजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी वार्ड नं. 13 सिनेमा हॉल के पास लाखेरी
3. सरवीन कौर पत्नी पवित सिंह जाति सिक्ख पुत्री गुरू चरण सिंह सालूजा निवासी रेल्वे स्टेशन कोटा, कोटा

4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

6. शंकरलाल आं हजारी लाल जाति गुर्जर निवासी रवांजना डूंगर किशनपुरा, सवाईमाधोपुर

–प्रतिवादीगण

वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट

अधिवक्ताः–1. श्री बालालाल बीडा (वादी)
2. श्री अब्दुल सत्तार (प्रतिवादी सं. 1)
3. श्री राजेन्द्र जैन (प्रतिवीद सं. 3)
4. श्री धीरज जैन, अब्दुल सत्तार (प्रतिवादी सं. 5)

दिनांक 16.10.2025

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज साक्ष्य तहसीलदार रिपोर्ट कमांक 2669 दिनांक 24.10.2024 एवं बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्योपान अवलोकन किया गया पुर्व में न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 18.07. 2024 से प्रकरण में प्राथमिक डिकी के आदेश वादी का वाद–पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया जाता है। वादं–विषयक कृषि भूमि खाता संख्या 787 पुराना 156 ख0सं0 2754/1 रकबा 0.46 है0, ख0सं0 2755/2 रकबा 0.03 है0,

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

ख0सं0 2760 रकबा 0.10 है, ख0सं0 2761 रकबा 0.10 है. कुल किता 4 रकबा 0.69 वाके ग्राम लाखेरी तहसीलदार इन्द्रगढ में वादी एवं प्रतिवादी सं. 5 का जमाबंदी अनुसार निहित 1/2–1/2 हिस्से तथा खाता सं0 156 पुराना 389 ख0सं0 2753 रकबा 0.010 है0 वाके ग्राम लाखेरी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी में वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 का जमाबंदी अनुसार निहित 1/2–1/2 हिस्से का विधिवत बंटवारा किये जाने बाबत् तहसीलदार इन्द्रगढ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देश दिये जाते हैं कि उभयपक्षों को तलबकर राजस्व मण्डल (बंटवारा नियम) 18 से 21 व धारा 53 आरटीएक्ट के प्रावधानों को मध्य नजर रखते हुए बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तैयार कर न्यायालय हाजा में दिनांक 30.07.2024 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। रहन का इन्द्राज यथावत जमाबंदी रहेगा निम्नानुसार प्रदान किये गये थे।

तदुपरांन्त तहसीलदार इन्द्रगढ के कमांक 2669 दिनांक 24.10.2024 से न्यायालय हाजा को प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के प्राप्त हुआ जा पत्रावली में शामिल है। उक्त बंटवारा प्रस्ताव में तहसीलदार द्वारा–

1. ज़सप्रीत आ0 जगदीप सिंह हिस्सा संपूण जाति सिक्ख सा0 देह खातेदार–

ख0नं0	रकबा
2754/1	0.315
2755/2	0.03
योग– किता–2	0.345

2. शंकरलाल गुर्जर पुत्र हजारीलाल गुर्जर जा0 गुर्जर सा0 किशनपुरा रवांजनाडुंगर जिला सवाईमाधोपुर

ख0नं0	रकबा
2760	0.10
2761	0.10
2554/2	0.145
योग– किता–3	0.345

नोटः– खसरा नंम्बर 27531 रकबा 0.01 गै0मु0चाह (कुआं) है जिसका भौतिक रूप से बंटवारा नहीं हो सकता है। उपरोक्तानुसार विभाजन में दोनों पक्ष दिशा बाबत (नजरी नक्शानुसार) सहमत हैं परंतु उपस्थित वादी मुख्तार द्वारा पहले सीमाज्ञान की बात कहकर हस्ताक्षर करने से मना किया गया। दौराने बहस वकील उभयपक्षकारान एवं वादी एवं प्रतिवादी दोनों के द्वारा तहसीलदार इन्द्रगढ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव दिनांक 24.10.2024 के अनुसार विभाजन किये जाने के लिए सहमति प्रदान की गई एवं सहमति अनुसार हस्ताक्षर नोटशीट पर अंकित किए गए अतः तहसीलदार द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिकी पारित की जाती है कि वाद विषयक कृषि

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

भूमि खाता संख्या 787 पुराना 156 ख0सं0 2754/1 रकबा 0.315 है0, ख0सं0 2755/2 रकबा 0.03 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.345 की खातेदारी जसप्रीत सिंह आ0 जगदीप सिंह हिस्सा सम्पूर्ण सा. खातेदार को एवं शंकरलाल गुर्जर पुत्र हजारी लाल गुर्जर जाति गुर्जर सा0 किसनपुरा रवांजनाडुंगर जिला सवाईमाधोपुर को ख0नं0 2760 रकबा 0.10 ख0नं0 2761 रकबा 0.10 ख0सं. 2554/2 रकबा 0.145 कुल किता 3 कुल रकबा 0.345 का खातेदार घोषित किया जाकर तदनानुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनानुसार तहसीलदार इन्द्रगढ़ राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें एवं नक्शे में तरमीम करें। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव कमांक 2669 दिनांक 24.10.2024 में संलग्न विभाजन प्रस्ताव नक्शा ट्रेस निर्णय के अनन्य भाग रहे होंगे।

निर्णय आज लिखवाया जाकर दिनांक 16.10.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

16/10/2025

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बूंदी)

Scanned with OKEN Scanner

अन्तिम डिक्री व मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20, R 6,7)

(Civil Procedure Code, Appendix D)

1.अज् अदालत.................उपखण्ड अधिकारी.........................

.... श्री अरविन्द शर्मा(आर0ए0एस).................................... मुकाम.......................लाखेरी.................. व इजलास..............

जसप्रीत सिंह आ0 जगजीत सिंह जाति सिक्ख निवासी वार्ड नं. 13 सिनेमा हॉल के पास लाखेरी हाल प्लॉट सं. 208 सूर्या रेजीडेन्सी गली नं. 3 डडवाडा, कोटा जक्शन कोटा राज0

बनाम

1. फराज खान आ0 महमूद अली जाति मुसलमान निवासी संजय नगर भीमगंज मण्डी, कोटा
2. पवित सिंह आ. जगजीत सिंह जा. सिक्ख नि.वार्ड नं0 13 सिनेमा हॉल के पास लाखेरी
3. सरवीन कौर पत्नी पवित सिंह जा.सिक्ख पुत्री गुरु चरणसिंह सालूजा नि. रेलवे स्टेशन कोटा, कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी
5. शंकरलाल आ0 हजारीलाल जा0 गुर्जर नि. रवांजनाडुंगर किशनपुरा, सवाईमाधोपुर

दावा बाबत् 53,188 आर0टी0एक्ट

मुकदमा नम्बर .... 105/दावा/2021...................................

सन्............................

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू......हमारे.......... व हाजिरी ....श्री बालालाल बीडा अधिवक्ता, श्री अब्दुल सत्तार, श्री राजेन्द्र जैन, श्री धीरज जैन, अब्दुल सत्तार मिनजानिब मुद्दई रुबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती कि

वाद विषयक कृषि भूमि खाता संख्या 787 पुराना 156 ख0सं0 2754/1 रकबा 0.315 है0, ख0सं0 2755/2 रकबा 0.03 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.345 की खातेदारी जसप्रीत सिंह आ0 जगदीप सिंह हिस्सा सम्पूर्ण सा. देह खातेदार को एवं शंकरलाल गुर्जर पुत्र हजारी लाल गुर्जर जाति गुर्जर सा0 किसनपुरा रवांजनाडुंगर जिला सवाईमाधोपुर ख0नं0 2760 रकबा 0.10 ख0नं0 2761 रकबा 0.10 ख0सं. 2554/2 रकबा 0.145 कुल किता 3 कुल रकबा 0.345 का विभाजन कर खातेदार घोषित किया जाकर तदनानुसार खातेदारी में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तदनानुसार तहसीलदार इन्द्रगढ़ राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमलदरामद करें एवं नक्शे में तरमीम करें। तहसीलदार इन्द्रगढ़ द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव कमांक 2669 दिनांक 24.10.2024 में संलग्न विभाजन प्रस्ताव नक्शा ट्रेस निणर्य के अनन्य भाग रहे होंगे।

निज...मुबलिग..बाबत..खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....

....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 10 सन 2025 को जारी की गई।

16/10/2025

दस्तखत

ओहदा

उपखण्ड अधिकारी

लाखेरी(बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

मुहर

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Scanned with OKEN Scanner